11.8.6.6 सस्य का विश्लेषण एवं मूल्यांकन –

1. वननिधि मानचित्र -- वन निधि मानचित्र सस्य के उपलब्धता अनुसार ग्राफ शीट पर किये गये है।

2. घनत्व -- कक्ष एवं उपकक्ष का घनत्व का विवरण कक्ष इतिहास में दिया गया है।

3. आयुवर्ग – मार्ग वृक्षावली की प्रथम पंक्ति छायादार एवं प्रौढ़ है द्वितीय, तृतीय पंक्तियां अथवा रिक्त स्थल पर रोपित सस्य तरूण आयु के है। नहर वृक्षावलियों में अधिकांशतः तरूण आयु के वृक्ष है।

4. प्रगणना कार्य – मार्गो के पटरियों के 20% क्षेत्रों को रैन्डम सैम्पलिंग विधि से चयनित कर प्रगणना कार्य किया गया है। इनके प्रगणना परिणाम परिशिष्ट– 2 (12) में दिया गया है।

11.8.6.7 वनवर्धन पद्धति –

1. मार्ग, वृक्षावली – इन क्षेत्रों का प्रबन्ध उपयुक्त प्रजातियों के रोपण कर पंक्तिबध, छायादार, चारापत्ती आदि से किया जायेगा।

11.8.6.8 आवर्तन काल – प्रबन्ध का मुख्य उद्देश्य मार्गो, पर बहुउद्देशीय वृक्षावली का रोपण प्राकृतिक सौन्दर्य एवं पर्यावरण के लिये किया जाना है। कोई आवर्तन काल निर्धारित नहीं किया गया है।

11.8.6.9 पातन नियम – सभी प्रकार की पटरी वृक्षावलियों में केवल निम्न प्रकार के वृक्षों का पातन किया जा सकता है।

1. वृक्ष पूर्णतया सूख गया हो।
2. ऐसे वृक्ष जिनका झुकाव मार्ग पटरी की ओर जनहानि, बाधा पहुँचाये जाने की आंशका हो।
3. अतिप्रौढ़ जर्जर तथा घुमावदार वृक्ष जो आगामी वर्षो तक जीवित नहीं रह सकते है का पातन वन संरक्षक की अनुमति लेकर किया जाना आवश्यक होगा।
4. ऐंसी वृक्षावली जिन्हें पटरी चौडी करने या ऐसें अन्य प्रयोजनों के लिये कटवाना आवश्यक हो और जिनके पातन की मांग, सम्बन्धित विभाग द्वारा लिखित रूप से की गयी हो की अनुमति संरक्षित वन घोषित के मामलें में भारत सरकार तथा अघोषित वन के लिये नियमानुसार दी जायेगी।
5. हरे वृक्षों को विशेष संरक्षण प्रदान किया जायेगा। इनका पातन गिर जाने अथवा किसी सरकारी योजना में बाधक होने की दशा में ही तदनुसार सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त कर किया जायेगा।

11.8.6.10 पातन कूप – निर्देशित कार्यो को किये जाने हेतु कोई वार्षिक पातन कूप निर्धारित नहीं किया गया है।

11.8.6.11 प्राप्ति – नियमित पातन निर्धारित न होने के कारण निर्धारण नहीं किया गया।

प्रणाली	नहर कि०मी०	वन प्रभाग			सं० आरक्षित चिड़ियापुर	12—20.85	8.85	—
योग	—		—		—	—	20.85	308.656
महायोग								632.426

11.4.2 मार्ग पटरी — क्षेत्रफल — 14.20 है०

सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि शा० सं०—115/XVI/331—50 दि० 10.02.1960 द्वारा संरक्षित वन घोषित है का विवरण सारणी 11.4 में दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या—58 में कि०मी० संख्या —152 से 209 तक भारत सरकार पंत्राक—8बी/ यू०सी०पी०/ 06/158/2005/ एफ०सी० दि० 23.03.07 चौड़ीकरण हेतु 22.40 है० क्षेत्र की अनुमति प्रदान की गयी है फलस्वरुप मार्ग पटरी में 14.20 है० क्षेत्र शेष रह जाता है।

कुल संरक्षित घोषित मार्गो की ल० 93.058 कि०मी० — 57.6कि०मी० हस्तान्तरित = 35.458 कि०मी० अवशेष मार्ग (औसतन प्रति कि०मी० दोनों पटरी 0.400 है०)

प्रभाग द्वारा प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० हरिद्वार, निर्माण खण्ड लो०नि०वि० रुड़की, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड रुड़की के राज्य, प्रमुख जिला एवं अन्य जिला मार्ग का प्रबन्धन पूर्व से पटरी कार्यश्रेणी में किया जा रहा है, जो संरक्षित वन घोषित नहीं हैं का विवरण सारणी—11.5 में दिया गया है।

सारणी—11.4

मार्ग श्रेणी	मार्ग का नाम	मार्ग का नम्बर	कि०मी०		मार्ग की कुल लम्बाई	रेंज वार कुल लम्बाई (कि०मी० में)					
			प्रारम्भ	समाप्त		हरिद्वार	रुड़की	लक्सर	श्याम पुर	चिड़िया पुर	खान पुर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.दिल्ली—हरिद्वार	58	152.00	209.6	57.6	23.00	34.60	—	—	—	—
1	2.रुड़की—लढ़ौरा लक्सर—बालाबाली	158	0.00	20.800	20.800	—	9.00	11.800	—	—	—
	3. रेलवे पुलिया सं० 1/24 का मार्ग	—	0.00	0.879	0.879	0.879	—	—	—	—	—
	4. रुड़की—हरिद्वार	—	0.00	4.400	4.400	4.400	—	—	—	—	—
	5 मंगलौर —लण्ढौरा	—	0.00	7.57	7.57	—	7.57	—	—	—	—
	6. रुड़की रेलवे फीडर	—	0.00	1.00	1.00	—	1.00	—	—	—	—
	7. रुड़की मालगोदाम	—	0.00	0.809	0.809	—	0.809	—	—	—	
	योग				93.058	28.279	52.979	11.800			

कार्यालय उप वन संरक्षक, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

दूरभाष / फैक्स 01334 226271 email : dfo_hardwar@rediffmail.com

पत्रांक : 1569/2-3 हरिद्वार, दिनांक, 18/9/ 2021

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0,
सिटी जंक्शन मॉल के सामने,
निकट आई0एस0बी0टी0
देहरादून

आवती नं0 ...... फाईल सं0 ...... दिनांक ......

विषय : केन्द्रीय सड़क योजना के अन्तर्गत रूड़की(ढंडेरा फाटक)लक्सर—बालावाली (राज्य मार्ग सं0 26) के कि0मी0 1 से 19 तक मार्ग के चौडीकरण में प्रभावित वृक्षों के छपान / कटान के सम्बन्ध में।

संदर्भ : आपका पत्रांक 1508 / 1सी, दिनांक 08.09.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा रूड़की—बालावाली मार्ग के संरक्षित वन भूमि किये जाने सम्बन्धित अभिलेख चााहे गये है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रस्तावित मार्ग के चौडीकरण में प्रभावित होने वाले वृक्ष वन विभाग की राजकीय सम्पति है तथा समस्त वृक्ष संरक्षित वन घोषित्त है! हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार की प्रचलित कार्ययोजना के खण्ड —1(भाग—दो) के पैरा नं0 11.8.6.9(पातन नियम) के क्रम सं0 04 के अनुसार ऐसी वृक्षावलिया, जिन्हे पटरी चौडी करने या ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए कटवाना आवश्यक हो और जिनके पातन की मॉग सम्बन्धित विभाग द्वारा लिखित रूप से की गई हो, की अनुमति संरक्षित वन घोषित के मामले में भारत सरकार तथा अघोषित वन के लिए नियमानुसार दी जायेगी, की छायाप्रति संलग्न कर इस अपेक्षा से प्रेषित की जा रही है कि उक्त के सम्बन्ध में नियमानुसार वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करे ताकि प्रकरण को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उच्च स्तर को प्रेषित किया जा सके।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय

(नीरज कुमार)
उप वन संरक्षक,
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

AE-III/IV